सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 18, गुरूवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 10, *2024* *Asvina 18, Thursday, Saka 1946- October 10, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2024

जी.एस.आर.52 :-बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 107 के उप बिन्दु सं. 1 के अनुसार स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण (Accreditation) की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 (पैंतालीस) वर्ष तथा अनुभव 15 वर्ष निर्धारित करने के लिए राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से पृवृत होंगे।

2. नियम 2(10) में संशोधन :-राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 के नियम 2 उपनियम (10) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

‘‘ (10) स्वतंत्र पत्रकार से तात्पर्य उन पत्रकारों से है, जिनकी न्यूनतम आयु 45 वर्ष से कम न हो और जो 15 वर्षों तक पूर्ण कालिक पत्रकारिता से जुड़े रहे हो तथा किसी समाचार पत्र अथवा समाचार एजेन्सी से सम्बद्ध नहीं हों।’’

[संख्या प.7/सम्पर्क/2024/]

सुनील शर्मा,

आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव,

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,

राजस्थान, जयपुर!

Government Central Press, Jaipur.